



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 () परावि/पीसी/EU-SPP/MJSA/2017-18/ 3648

जयपुर, दिनांक : 20/12/17

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 31/2017-18)

वित्त, आय-व्ययक अनुभाग की स्वीकृति दिनांक 6.12.2017 तथा जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 04.12.2017 द्वारा यूरोपीयन यूनीयन राज्य सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत एक्शन प्लान में स्वीकृत गतिविधि Provide Budgetary Support to Implement Water Management Works in Association with MJSA के तहत राशि रु. 3026.05 लाख (अक्षरे राशि रूपये तीस करोड़ छब्बीस लाख पांच हजार मात्र) एवं गतिविधि Provide Budgetary Support to Implement IWRM and associated development of Water Management Works के तहत राशि रु. 1000.00 लाख (अक्षरे राशि रूपये दस करोड़ मात्र) इस प्रकार कुल राशि रु. 4026.05 लाख योजनान्तर्गत चयनित 11 जिले यथा बाड़मेर, बीकानेर, चुरु, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर को हस्तान्तरित किये जाने हेतु संलग्न सूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णितानुसार एवं संबंधित जिला परिषदों के पीडी खातों में संलग्न सूची अनुसार भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। जिला परिषदों का उत्तरदायित्व होगा कि व्यय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे एवं उक्त राशि का उपयोग करने में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 लोक निर्माण वित्तीय तथा लेखा नियम एवं अन्य नियमों, आदेशों, दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस राशि का विकलेय मद निम्नानुसार है :-

बजट मद

मांग संख्या - 30	मांग संख्या - 30	योग (राशि लाखों में)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (01)-लघु सिंचाई निर्माण कार्य [03]-राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (01)-लघु सिंचाई निर्माण कार्य [03]-राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	
3026.05 लाख	1000.00 लाख	4026.05 लाख
(अक्षरे राशि रूपये तीस करोड़ छब्बीस लाख पांच हजार मात्र)	(अक्षरे राशि रूपये दस करोड़ मात्र)	(अक्षरे राशि रूपये चालीस करोड़ छब्बीस लाख पांच हजार मात्र)

(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सूची अनुसार राशि रूपये 4026.05 लाख संबंधित जिला परिषदों पीडी खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी कराने का श्रम करावे।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. जिला कलक्टर-बाड़मेर, बीकानेर, चुरु, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि राशि रु. 4026.05 लाख संलग्न सूची के कॉलम संख्या-6 में वर्णितानुसार एवं संबंधित जिला परिषद के पी.डी. खातों में संलग्न सूची अनुसार हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करावे।
7. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
9. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - बाड़मेर, बीकानेर, चुरु, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर।
10. लेखाधिकारी, जिला परिषद - बाड़मेर, बीकानेर, चुरु, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर।
11. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधिशायी अभियन्ता (टी.सी.)

BUDGET ALLOTMENT OF MJSA UNDER EU-SPP

Amt. In Laacs.

S. NO.	NAME OF DISTRICT	BUDGET HEAD 30
		4702-796-01-03-17
1	2	3
1	BARMER	171.05
2	BIKANER	335.50
3	CHURU	335.50
4	JAISALMER	335.50
5	JALORE	335.50
6	JHUNJHUNU	335.50
7	JODHPUR	335.50
8	NAGAUER	335.50
9	PALI	835.50
10	RAJSMAND	335.50
11	SIKAR	335.50
	TOTAL	4026.05

